सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गु0वि0–नि0पा0पु0 वितरण / 1227 /2012–13 दिनांक 21/ जून, 2012

विषय: **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012–13 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक– गु0वि0–नि0पा0पु0 वितरण/627/2012–13 दिनांक–15 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शैक्षिक सत्र 2012–13 में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में है।

आप अवगत हैं कि निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण योजना का उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों का शत–प्रतिशत नामांकन, उपस्थिति और ठहराव को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012–13 में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निर्धारित निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रहीं हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अत्यन्त संवेदनशीलतापूर्वक निम्नांकित निर्देशानुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करायें :–

1. निःशुल्क पाठयपुस्तकें वास्तविक लाभार्थियों को ही उपलब्ध करायी जायें। यदि किसी विद्यालय में वास्तविक नामांकन के विपरीत वितरण होता है तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. पाठयपुस्तकों के वितरण का भौतिक सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाये तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संसाधन केन्द्रों के सह–समन्वयकों व

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

समन्वयकों से भी कराया जाये। जनपदीय अधिकारियों से भी पूर्व आदेशों के कम में 10 प्रतिशत विद्यालयों में पाठयपुस्तकों के वितरण का शत–प्रतिशत सत्यापन करायें।

3. समय–समय पर यह देखा जाये कि जिन विद्यार्थियों को पाठयपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं, वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। यदि विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उनको विद्यालय में लाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रभावी कदम उठाये जायें।
4. प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये जिससे अर्ह विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकें बाजार से क्रय न करें। जुलाई, 2012 में विद्यालय प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से ही नामांकित होने वाले सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की स्पष्ट जानकारी दे दी जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0 / नि0पा0पु0 / 1227 / 2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक